



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-67

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 216318 दिनांक 28/04/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	VIPUL GUPTA W/o Rajesh Kumar Gupta	श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री अमर सिंह चौधरी	22	138.88 SQ. YARD	Private	KHUSHI ENCLAVE Sector/Block-C	Name Transfer	श्री विपुल गुप्ता पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना खुशी एनक्लेव सी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना खुशी एनक्लेव सी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 138.88 व0ग0 का श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी श्री अमर सिंह चौधरी के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 01.05.2024 को जरिये रजि0



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण का बैचान श्री विक्रम सिंह यादव पुत्र श्री राधेश्याम यादव को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 01.11.2025 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण का बैचान श्री विपुल गुप्ता पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता को किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. VIPUL GUPTA W/o Rajesh Kumar Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।